उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग परिसर, रिंग रोड लाडपुर देहरादून,उत्तराखण्ड

वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in E-mail: chayanayog@gmail.com

पत्रांक संख्या— 111 /विज्ञप्ति/2016—17 दिनांक 30 अप्रैल, 2016

अभिलेख सत्यापन हेतु सूचना

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' के अर्न्तगत निदेशालय कोषागार व जनपदीय कोषागारों में सहायक लेखाकार पद (पद कोड—02) हेतु रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति संख्या 02/उअसेचआ/2015—16 दिनांक 29 अक्टूबर 2015 प्रकाशित कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को उनके अभिलेख सत्यापन हेतु जनपदवार निम्नांकित तिथियों में आमंत्रित किया जाता हैः—

क्र0सं0	आवेदित/चयनित जनपद	अभिलेंख सत्यापन का दिनांक	समय
1	अल्मोड़ा	**05 मई, 2016**	**प्रातः 10.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक**
	बागेश्वर		
2	चमोली	**06 मई, 2016**	
	टिहरी		
	चम्पावत		
3	निदेशालय कोषागार, देहरादून	**07 मई, 2016**	
	छेहरादून		
4	हरिद्वार	**09 मई, 2016**	
	पौड़ी		
5	नैनीताल	**10 मई , 2016**	
	उत्तरकाशी		
	रूद्रप्रयाग		
6	पिथौरागढ़	**11 मई, 2016**	
7	उधमसिंहनगर	**12 मई, 2016**	

उपरोक्तानुसार अभिलेख सत्यापन हेतु समस्त सफल अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तिथियों एवं समय पर निम्नांकित अभिलेखों के साथ उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

1. उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवास प्रमाण—पत्र मूल रूप में।
2. उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी भी सेवायोजन कार्यालय में वैध पंजीकरण प्रमाण—पत्र की मूल प्रति जो कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि को वैध हो/तक जारी किया गया है।
3. सेवारत अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष के द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र मूल रूप में।
4. आरक्षण से सम्बन्धित समस्त निर्धारित प्रमाण—पत्र मूल रूप में(यदि लागू हो)।
5. सहायक लेखाकार पद (पद कोड—02) की विज्ञप्ति हेतु वांछित समस्त शैक्षिक प्रमाण—पत्रों, अंकतालिकाओं व उपाधियों की मूल प्रतियां। समस्त प्रमाण—पत्र, अंकतालिकाएं व उपाधियां विज्ञापन जारी होने की तिथि 29/10/2015 से पूर्व सम्बन्धित संस्था (बोर्ड/विश्वविद्यालय) द्वारा जारी की गई हो।
6. अधिमानी अर्हता संबंधी अभिलेख मूल रूप में (यदि लागू हो)।
7. लिखित परीक्षा व टंकण परीक्षा का प्रवेश पत्र।
8. पासपोर्ट आकार के 4 सत्यापित रंगीन फोटोग्राफ।

उपर्युक्त अभिलेख मूल रूप में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे, साथ ही प्रत्येक अभिलेख की दो—दो स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियॉ भी आयोग कार्यालय में उपलब्ध करनी होंगी। समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि नियत तिथि एवं समय पर अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव।